आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 215/2021 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

श्रीमती आरती कुमावत पत्नी श्री भगवान सहाय कुमावत

पता–सैक्टर 2, प्लाट नं॰ 55, विद्याधर नगर, जयपुर हाल निवासी 44, ग्रीन टाउन, दादी का फाटक, झोटवाडा, जयपुर ।

बनाम

प्रार्थी

बैंक आफ इण्डिया शाखा ए–1 गणपति पैराडाईज, सैन्ट्रल स्पाईन स्कीम, विद्याधर नगर, जयपुर ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सिविल प्रकिया संहिता सपठित आदेश 47 नियम 1 सी॰पी॰सी॰

उपस्थित–

1. श्री विरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री आर पी सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी बैंक की ओर से ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

आदेश दिनांक 30.11.2021

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अधिवक्ता ने इस न्यायालय मे धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 127/2020 (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट) व उनवानी बैंक ऑफ इण्डिया बनाम आरती कुमावत में पारित आदेश दिनांक 18.08.2020 को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी बैंक को नोटिस जारी किया गया । मूल मिसल शामिल की गई। अप्रार्थी बैंक की ओर से आर॰ पी॰ सिंह अधिवक्ता उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4- प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थिया द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष एक एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4520/2020 दिनांक 4 मार्च–2020 को प्रस्तुत की गई। उक्त याचिका की सुनवाई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19 मार्च 2020 को की गई, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका पर बैंक ऑफ इण्डिया को नोटिस जारी किया गया जो कि दिनांक 24.04.2020 को रिटरनेबल फरमाया गया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में अन्तिरिम आदेश भी पारित किया गया । जिसमें याचिकाकर्ता को उसके

मजिस्ट्रेट
क्टर) जयपुर

घर से बेदखल करने पर रोक लगाई गई। उपरोक्त आदेश की प्रमाणित प्रति बैंक ऑफ इण्डिया को दिनांक 27.03.2020 को प्राप्त हो गई और उक्त आदेश की जानकारी माननीय न्यायालय को नहीं दी गई, जिसके कारण माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय दिनांक 18.08.2020 पारित किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि दिनांक 18.08.2020 के निर्णय पर पुर्न विचार किया जावे और बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावें।

5- अप्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि ऋणियों द्वारा माननीय ऋण वसूली अधिकरण में एक एस ए/39/2020 दिनांक 29.01.2020 को प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय ऋण वसूली अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 17.02.2020 द्वारा खारिज कर दिया था। तत्पश्चात ऋणियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में एक एस बी सिविल रिट पीटीशन नं. 4520/2020 प्रस्तुत की गई, जिसे भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा आदेश दिनांक 01.09.2021 को खारिज किया जा चुका है। वर्तमान में ऋणियों द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद प्रस्तुत नही किया गया है और यदि ऋणियों द्वारा कोई भी किसी भी समक्ष न्यायालय में विचाराधीन है अथवा बैंक में बंधकशुदा सम्पत्ति के कब्जे की कार्यवाही के विरूद्व किसी भी प्रकार स्टे आर्डर पारित किया गया है, तो ऋणियों द्वारा उस स्टे आर्डर की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। माननीय न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों से परे अपने द्वारा पारित आदेश को रिव्यू किये जाने की पावर नही है । यदि ऋणियों को बन्धकशुदा सम्पत्ति के कब्जे की कार्यवाही के विरूद्व कसी प्रकार की कोई आपत्ती है, तो माननीय ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण में सरफेशी अधिनिमय की धारा 18 के तहत वर्तमान बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवा कर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने ऋणियों को आदेशित किया है कि " Keeping in view the provision of DRT Act, wherein appeal is provided against the order passed by DRT to the DRAT, I am not inclined to continue the interim order or keep this writ petition pending and allow the petitioner to approach the DRAT, petitioner shall be free to take up all the argument wich he has taken up in the prtsent writ petition and the same shall be considered and by the applellate forum. tjr writ petitipon is accordingly dismissed. All pending applicationa also disposed of."

ऋणियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण में अपील ना करके आपके समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विधि सम्मत नही है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. बैंक द्वारा दिनांक 13.03.2021 को धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 19.03.2020 को एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 4520/2020 आरती कुमावत बनाम बैंक ऑफ इण्डिया में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा "Issue notice on writ petition as well as stay returnable on 24-02-202" किया गया है। धारा 14 के प्रार्थना पत्र पर आदेश जारी किये जाने से पूर्व न्यायहित में ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये है। ऋणी के पास बन्धक सम्पत्ति बाबत स्थगन था, तो तत्त्समय उपस्थित होकर प्रस्तुत करना चाहिये था। अब माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4.09.2021 को याचिकाकर्ता

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

ऋणी को DRAT में जाने का निर्देश देते हुये याचिका को निस्तारित कर दिया गया है। बैंक द्वारा बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने पर वर्तमान में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है। इसलिए इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 127/2020 व उनवानी इण्डियन बैंक बनाम श्रीमती आरती कुमावत में पारित आदेश दिनांक 18.08.2020 में किसी प्रकार के पुनर्विचार व हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप प्रार्थी का धारा 114 सिविल प्रकिया संहिता सपठित आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक 30.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/11/21

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर